

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या-5 (न) वि-06/2015 1322/ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-4537 दिनांक-02.09.2015 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार कटिहार जिलान्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची 'क' में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत गठित करती है तथा इसमें पड़ने वाले संक्रमणशील क्षेत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के सुसंगत प्रावधानों को लागू करती है:-

अनुसूची 'क'

1. ग्रामों के नाम एवं थाना सं०

(क)	ग्राम का नाम	थाना सं०
	1. रघुनाथपुर	671
	2. रघुनाथपुर	04
	3. रघुनाथपुर	05
	4. मौलानापुर	07
	5. भाग बारसोई	06
	6. सुल्तानपुर	132
	7. डकैतपूजा	131

(ख) चौहद्दी

उत्तर	मसनपुर
दक्षिण	आजमनगर प्र० का सीमाना, मौजा-चौन्दी
पूरब	बलतर
पश्चिम	आजमनगर एवं कदवा प्रखण्ड का सीमाना

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, बारसोई कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 (न) वि-06/2015

/न०वि०एवं.आ०वि०

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

ह०/-

प्रधान सचिव


नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 (न) वि-06/2015 1322

/न०वि०एवं.आ०वि०

/पटना, दिनांक- 26/2/16

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभाग/विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, कटिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-5 (न) वि-06/2015 अधिसूचना संख्या-1322 दिनांक-26/11/16/ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

**Government of Bihar
Urban Development and Housing Department**

No-5 (N) Vivdh-06/2015 1323 /After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-4537 dated-02.09.2015 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) the State Government in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act constitute a Nagar Panchayat and in it enforce the relevant provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 in the transitional areas falling within the boundary as described in the following schedule-'A' in the district-Katihar:-

Schedule-A

1 Name of villages and Thana Nos

(a) <u>Name of Village</u>	<u>Thana No.</u>
1. Raghunathpur	671
2. Raghunathpur	04
3. Raghunathpur	05
4. Maulanapur	07
5. Bhagbarsoi	06
6. Sultanpur	132
7. Dakaitpuja	131

(b) Boundary:-

North-	Masanpur
South-	Aajamnagar Block Simana Muja-Choundi
East-	Baltar
West-	Aajamnagar and kadwa Block Simana

This area will be called Nagar Panchayat, Barsoi

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

Sd/-

(Amrit Lal Meena)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

Memo No-5 (N) Vivdh-06/2015

UD&HD

Dated:-

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

Sd/-

(Amrit Lal Meena)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

UD&HD

Dated:-26/2/16

.Memo No-5 (N) Vivdh-06/2015 1323

Copy to All Departments/Departmental Heads/all District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Katihar/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Principal Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.



(Amrit Lal Meena)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

25